अमेरिका-चीन में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

वांशिगटन, 14 मई. अमेरिका और चीन के बीच हाल ही में हुई उच्चस्तरीय बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक स्थिरता के मुद्दों पर चर्चा की. इस बैठक को सकारात्मक बताया गया और दोनों नेताओं ने सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया.

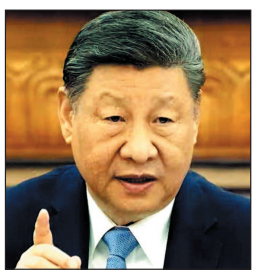

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका-चीन संबंधों की पुरानी जड़ों और शुरुआती व्यापारिक आदान-प्रदान का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दोनों देश एकजुट होने पर दुनिया के लिए विशेष अवसर बनते हैं. उन्होंने साझेदारी मजबूत रखने की शुभकामनाएं दी।

व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप और शी की बैठक सकारात्मक रही.ताइवान पर चर्चा नहीं हुई.ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य पर विस्तार से विचार हुआ. अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में बाजार पहुंच और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी को 24 सितंबर को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया. बीजिंग में राजकीय स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने शी का स्वागत करने के लिए धन्यवाद किया और आगमन का इंतजार जताया।

शी ने अमेरिका-चीन संबंधों को दुनिया का सबसे अहम रिश्ता बताया. उन्होंने कहा कि रिश्ते सही दिशा में चलने चाहिए.शी ने राष्ट्रीय कायाकल्प और अमेरिका को फिर से महान बनाने की योजनाओं को साथ आगे बढ़ाने का सुझाव दिया.बैठक में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई.इसमें अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में बाजार पहुंच बढ़ाना और उद्योगों में चीनी निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल था.पिछले वर्ष 414 अरब डॉलर के संबंधों को लाभकारी बताया गया। दोनों देशों ने होर्मुज जलडमरूमध्य में ऊर्जा प्रवाह बनाए रखने पर सहमति जताई.शी ने सैन्यीकरण और शुल्क लगाए जाने का विरोध किया.चीन भविष्य में अधिक अमेरिकी तेल खरीदकर निर्भरता कम करने में रुचि रखता है।शी ने ताइवान को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया.इसे सही ढंग से संभालने पर संबंध स्थिर रहेंगे.दोनों देशों के फैसले 1.7 अरब नागरिकों और वैश्विक आबादी पर असर डालते हैं उन्होंने जिम्मेदारी और सहयोग पर जोर दिया।

यूपी में आंधी-तूफान से 96 मौतें

▶ आंधी-बारिश और हीटवेव का कहर, कई राज्यों में अलर्ट

नई दिल्ली, 14 मई. देशभर में मौसम का मिजाज बेहद खतरनाक और असामान्य बना हुआ है. उत्तर भारत के कई राज्यों में जहां तेज आंधी-तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी है, वहीं पश्चिम और मध्य भारत भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में हैं. उत्तर प्रदेश में बुधवार को आए तेज तूफान और आंधी ने भारी जनहानि की. प्रयागराज, अयोध्या समेत 30 जिलों में 96 लोगों की मौत हो गई. सबसे ज्यादा 21 मौतें प्रयागराज और 17 भदोही में दर्ज की.

कई इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं. बरेली में तेज आंधी के दौरान एक युवक टीनशेड समेत हवा में उड़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मौसम विभाग ने आज भी यूपी के 51 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. दूसरी तरफ राजस्थान में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. जैसलमेर लगातार चौथे दिन देश का सबसे गर्म शहर बना रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 जिलों में हीटवेव की चेतावनी दी गई है।मध्य प्रदेश में भी हालात गंभीर हैं. राज्य के 25 से ज्यादा जिलों में हीटवेव का असर जारी है, जो 18 मई तक बना रह सकता है. खजुराहो में बुधवार को तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां गर्म रातों यानी वार्म नाइट की भी चेतावनी दी गई है. हरियाणा में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है. नारनौल में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राज्य में 17 मई से हीटवेव का यलो अलर्ट लागू रहेगा।मौसम विभाग के मुताबिक 16 मई को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. वहीं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना है.

आज का इतिहास

1242-दिल्ली के सुलतान मुइज़ुद्दीन बहराम शाह की सेना ने विद्रोह कर दिया और सुलतान की हत्या कर दी

1817-प्रख्यात विद्वान और धार्मिक नेता देवेन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म

1907-महान क्रांतिकारी शहीद सुखदेव का जन्म

1923-भारतीय हास्य अभिनेता का जॉनी वॉकर जन्म

1935-मास्को मेट्रो लोगों के लिए खोला गया

1940-दो भाइयों रिचर्ड और मौरिस मैकडॉनल्ड्स ने कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डीनो में मैकडॉनल्ड्स शुरू किया

1957-ब्रिटेन के सप्लाई मंत्रालय ने घोषणा की कि प्रशांत महासागर में किए गए श्रृंखलाबद्ध परीक्षणों के अंतर्गत पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया

NAME CHANGE

I **ALFIYAH** HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME AS **ALFIYAH BOHRA** SO FROM NOW AND IN FUTURE I WILL BE KNOWN BY MY NEW NAME **ALFIYAH BOHRA W/O SHABBIR HUSAIN**
ADDRESS - MOCHIWADA WARD NO 29 MANDSAUR

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **पूजा पाल, पत्नी स्व. राधेश्याम पाल,** निवासी म.नं. 20, डेसेंट कालोनी, महू, इंदौर-453441 ने अपने **नाबालिग पुत्र का नाम ऋषभ पाल** से बदलकर **ऋषभ सिंह पाल**, आयु 16 वर्ष कर दिया है, शपथ पत्र क्र. 1009/2026 दिनांक 25/02/2026 नोटरी सर्वेश चौरसिया, महू।

हीटवेव मौतों को शून्य करने की तैयारी : शाह

नयी दिल्ली 14 मई. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण को 'मिनिमम कैजुअल्टी' से 'ज़ीरो कैजुअल्टी' तक लाने के साथ-साथ लू से होने वाली मृत्यु दर को शून्य तक लाने की दिशा में कार्य कर रही है. शाह ने गुरुवार को गाज़ियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को 'प्रेसिडेंट्स कलर' प्रदान किए जाने के समारोह में यह बात कही. आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बल की उपलब्धियों

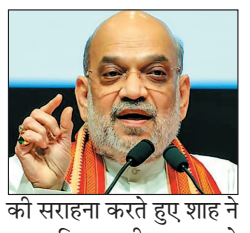

की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने अब तक डेढ़ लाख से अधिक लोगों की जान बचाई है और नौ लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा हो या भीषण हादसा, बल ने हर चुनौती में अपनी दक्षता साबित की है. उन्होंने एनडीआरएफ को मिले 'प्रेसिडेंट्स कलर' को बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण का राष्ट्रीय सम्मान बताया. शाह ने कहा कि यह सम्मान केवल एनडीआरएफ की सेवाओं की मान्यता नहीं, बल्कि देशभर में आपदा प्रबंधन से जुड़े पूरे तंत्र के सामूहिक योगदान का सम्मान है. एनडीआरएफ ने बीते 20 वर्षों में अपने साहस, सेवा और त्वरित कार्रवाई से 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास अर्जित किया है.

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां 'नवभारत' में विज्ञापन के माध्यम से

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 08.08.2025 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता, सह-उधारकताओं और गारंटरों 1. सुनील गुर्जर 2. टीना सुनील को नोटिस में उल्लिखित राशि, जो कि 07.08.2025 तक 4,64,511.93/- (चार लाख चौंसठ हजार पांच सौ ग्यारह और तिरानवे पैसे मात्र) है, को उक्त मांग नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

ऋणकताओं द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने 12 मई, 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।

ऋणकताओं और आम जनता को विशेष रूप से आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय) द्वारा 4,64,511.93/- (चार लाख चौंसठ हजार पांच सौ ग्यारह तिरानवे पैसे मात्र) और उस पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

अचल संपत्तियों का विवरण।

उज्जैन जिले के खाचरोद तहसील के मलाखेड़ी गांव में स्थित एक मंजिला आरसीसी निर्मित मकान का वह पूरा टुकड़ा, मकान संख्या 93 (तिरानवे) पंचायत अभिलेखों के अनुसार। मकान की कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व तक 25 (पच्चीस) फीट और चौड़ाई दक्षिण से उत्तर तक 36 (छत्तीस) फीट है, जिससे कुल क्षेत्रफल 900 (नौ सौ) वर्ग फीट बनता है। 83.64 (83.33.64) वर्ग मीटर, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: खाली स्थान, पश्चिम: सार्वजनिक सड़क, उत्तर: मदनलाल का घर, दक्षिण: कमल सिंह का घर

दिनांक: 12.05.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
ऋण खाता संख्या: 57712095

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

कोल्हापूर महानगरपालिका

शुध्दीपत्रक
टेंडर नो.न. १८ ऐवजी १९ समजावा

कोल्हापूर म्यु.कार्पो. सा.बा.प्रकल्प विभाग यांजकडून सर्व निविदाधारक यांना कळविणेत येते की **टेंडर नोटीस** १८ दि. १४/५/२०२६ रोजी दै. नवभारत, नवराष्ट्र, दै. सकाळ व दै. सिंधुदुर्ग समाचार या वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द केले असता निविदा क्रमांक १८ ऐवजी निविदा क्रमांक १९ समजावा.
कळावे ता. /०५/२०२६

सही/-
शहर अभियंता
कोल्हापूर महानगरपालिका

कार्यालय नगर परिषद् तराना जिला उज्जैन (म.प्र.)

क्रमांक / राजस्व / 2026 / 874 — तराना, दिनांक 13.05.2026

-:: दुकान आबंटन हेतु ई निविदा सूचना ::-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषदतराना द्वारा हाटमैदान में सब्जीमण्डी की नवनिर्मित पक्की दुकाने पर नवनिर्मित दुकानों एवं आवंटन से शेष दुकानों के निविदा प्रस्ताव मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल सम्पत्ति अन्तरण) नियम 2016 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत राईट ऑफ आक्यूपेशन के तहत ई निविदा के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं-

स. क्र.	टेण्डर आईडी क्रमांक	दुकान क्रमांक	दुकान की क्रमांक	दुकान का आरक्षण	न्यूनतम ऑफर राशि	निविदा अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	मासिक किराया राशि	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2026_UAD_477761_1	हाटमैदान में सब्जीमण्डी की नवनिर्मित पक्की दुकाने	1	अनारिक्षित	734265/-	50000/-	5000/-	450/-	20.05.2026
2	2026_UAD_477761_2		2	अनारिक्षित	734265/-	50000/-	5000/-	450/-	20.05.2026
3	2026_UAD_477761_3		3	अ.जा.	734265/-	50000/-	5000/-	450/-	20.05.2026
4	2026_UAD_477761_4		4	अनारिक्षित	734265/-	50000/-	5000/-	450/-	20.05.2026
5	2026_UAD_477761_5		5	अ.जा.	734265/-	50000/-	5000/-	450/-	20.05.2026
6	2026_UAD_477761_6		6	अनारिक्षित	734265/-	50000/-	5000/-	450/-	20.05.2026
7	2026_UAD_477761_7		7	अनारिक्षित	734265/-	50000/-	5000/-	450/-	20.05.2026
8	2026_UAD_477761_8		8	अनारिक्षित	734265/-	50000/-	5000/-	450/-	20.05.2026
9	2026_UAD_477761_9		9	अ.पि.वर्ग	734265/-	50000/-	5000/-	450/-	20.05.2026
10	2026_UAD_507121_2	बस स्टेण्ड दुकान 01	1	अ.जा.	800000/-	50000/-	5000/-	500/-	27.05.2026

ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी सरल क्रमांक 01 से 09 तक दिनांक 27.05.2026 को सांय 5.30 बजे तक एवं सरल कमांक 10 की अंतिम तिथि दिनांक 29.05.2026 को सांय 5.30 बजे को रहेगी। ई-ऑक्शन में संसोधन की जानकारी केवल पोर्टल के माध्यम से दी जावेगी। ई-निविदा की शर्तें एवं अन्य जानकारी www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

(विरेन्द्र कुमार मेहता)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद तराना

कर्नाटका बैंक लिमिटेड

आपका पारिवारिक बैंक संपूर्ण भारत मे.

क्षेत्रीय कार्यालय : अहमदाबाद, ''दी फर्स्ट'' बी-705, केशवबाग पार्टी प्लाट के पीछे, ऑफ 132 फीट रोड, वस्त्रपुर, अहमदाबाद - 380015
फोन : 079-29702791/92/93
ई-मेल : ahmedabad.ro@ktkbank.com
वेबसाईट : www.karnatakabank.bank.in
CIN: L85110KA1924PLC001128

1. श्री अनिल कालरा पिता श्री पोकरदास कालरा
2. श्रीमती गीता कालरा पति श्री अनिल कालरा
दोनों का निवास स्थान: 64, गुरु नानक कॉलोनी, इंदौर-452 002.
अन्य पता : फ्लैट नंबर 102, पहली मंज़िल, न्यू रवि पैलेस, पश्चिमी भाग, प्लॉट नंबर 54ए, पुराना नंबर 46, गोपाल बाग.

प्रायोरिटी सेक्टर टर्म लोन खाता संख्या 3557001800004001, जिसकी राशि 14.00 लाख रुपये है, जिसे 1) आप (नंबर 1) श्री अनिल कालरा पिता श्री पोकरदास कालरा एवं 2) आप (नंबर 2) श्रीमती गीता कालरा पति श्री अनिल कालरा ने लिया था; आप दोनों ही इस क्रेडिट सुविधा के संबंध में संबंधित समय पर और अब तक भी हमारी **इंदौर विजय नगर शाखा** में ऋणी हैं। इस खाते को **11.01.2026 को 'नॉन-परफॉर्मिंग एसेट'** के रुप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा **18.03.2026** को आप सभी को 'वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002' की धारा 13(2) और 13(3) के तहत एक विस्तृत 'मांग नोटिस' जारी करके सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम यह मांग नोटिस **सरफेसी अधिनियम, 2002** और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रकाशित कर रहे हैं।

दिनांक **18.03.2026** तक, बैंक के प्रति आपकी कुल देनदारी **रु. 12,35,966.54 (बारह लाख पैंतीस हजार नौ सो छियासठ रुपये और चौवन पैसे मात्र)** है, जिसमें नीचे उल्लिखित तिथि तक का ब्याज भी शामिल है। इस राशि पर, संबंधित तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान होने तक, नीचे उल्लिखित दर से प्रति वर्ष (वार्षिक) ब्याज जोड़ा जाएगा, जिसकी गणना मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाएगी। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

प्रकृति एवं खाता क्रं.	बकाया शेष (आज की तारीख में)	ब्याज की दर (मासिक चक्रवृद्धि)	ब्याज की गणना यहां तक की गई	निम्न तिथी से ब्याज जोड़ा जाएगा
Priority Sector Term Loan A/c No: 3557001800004001	Rs.12,35,966.54	8.69%	15-03-2026	16-03-2026
कुल	Rs.12,35,966.54			

आपको इस दस्तावेज़ के प्रकाशन की तिथि से **60 दिनों के भीतर** उक्त राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है।

अनुसूची

संपत्ति का विवरण	सुरक्षा की प्रकृति	संपत्ति का स्वामी और वह व्यक्ति (या वे व्यक्ति) जिन्होंने सुरक्षा निर्मित की	प्रतिभूति निर्माण की तिथी
आवासीय संपत्ति के MDTD के पंजीकरण के माध्यम से साम्यिक बंधक, जिसका विवरण इस प्रकार है: फ्लैट नंबर 102, पहली मंज़िल, न्यू रवि पैलेस, प्लॉट नंबर 54-ए (पुराना नंबर 46) का पश्चिमी भाग, गोपाल बाग, इंदौर - म.प्र.	(MDTD)	श्री अनिल कालरा पिता पोकरदास कालरा	18-03-2020

कृपया ध्यान दें कि इस प्रकाशन की तिथि से **60 दिनों** की समाप्ति पर या उससे पहले आपके द्वारा अपने संपूर्ण दायित्वों (देनदारियों) का पूर्ण रुप से निर्वहन करने में विफल रहने की स्थिति में, मैं, प्रतिभूत लेनदार बैंक का प्राधिकृत अधिकारी, पूर्वोक्त प्रतिभूति का प्रवर्तन करने का आशय रखता हूँ। **इसके अतिरिक्त, आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत बंधक के मोचन (छुड़ाने) का समय केवल सार्वजनिक नीलामी या निविदाएं आमंत्रित करने हेतु नोटिस के प्रकाशन की तिथि तक ही उपलब्ध है।**

ह/-
सहायक महाप्रबंधक एवं
दिनांक : 18.03.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, कर्नाटका बैंक लिमिटेड

IndusInd Bank

इंडसइंड बैंक लि., एफएफआर डिपार्टमेंट, 11वीं मंजिल, टॉवर 1, वन वर्ल्ड सेन्टर, 841, सेनापती बापट मार्ग, इल्फिंस्टोन रोड़, मुम्बई - 400013

परिशिष्ट- IV-A [नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री नोटिस वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानो के तहत

एतदद्वारा आमतौर पर जनसाधारण तथा विशेष रुप से ऋणीयों(ओं) तथा जमानतदार (ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो कि सुरक्षित लेनदार, के पास गिरवी रखी गई है/चार्ज की गई है, जिसका **भौतिक कब्जा** इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया है, जिसे दिनांक **10 जून 2026** को "जैसा है जहाँ है" "जैसा है वैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर इंडसइंड बैंक लिमिटेड की बकाया राशि **रु. 56,11,632.96 (रुपये छप्पन लाख ग्यारह हजार छः सौ बत्तीस एवं छियानवे पैसे मात्र) 30 अप्रैल 2026** तक की वसूली के लिए बेचा जाएगा, जो कि **सफदर हुसैन कनवासवाला जमानतदार/ बंधककर्ता, श्री ऐजाज हुसैन कनवासवाला, श्री मंसूर अली कनवासवाला, हबीब हुसैन कनवासवाला और बुरहानुद्दीन कनवासवाला** से सुरक्षित लेनदार को बकाया है।

आरक्षित मूल्य एवं बयाना राशि नीचे उल्लिखित है। संपत्ति का निरीक्षण **25 मई, 2026,** को निम्न उल्लेखित विवरण के अनुसार उपलब्ध होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

क्रं.	सुरक्षित अस्ति का विवरण	ज्ञात भार	आरक्षित मूल्य ईएमडी	निरिक्षण की तिथी
1	सर्वे नंबर 126/3/6 पैकी पर परिवर्तित भूमि, रकबा 0.047 हेक्टेयर, ग्राम- लसूड़िया मोरी तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.) एवं उस पर वर्तमान एवं भावी भविष्य निर्माण	NIL	Rs.89.91 लाख / Rs.8.99 लाख	25-05-2026 (प्रात: 11:00 बजे से दोप. 12:00 बजे तक)

बिक्री की विस्तृत शर्तों व नियमों के लिए कृपया सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात **www.indusind.com** या सेवा प्रदाता की वेबसाइट अर्थात **www.bankeauctions.com** पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी सुश्री अत्रेयी दास से मो.नं. 9601621197/ **atreyi.das@indusind.com** या बैंक अधिकारी श्री कमल मिश्रा से मो.नं. 09819820760/ **mishra.kamal@indusind.com** पर संपर्क करें।

दिनांक : 15.05.2026 — प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : मुम्बई — इंडसइंड बैंक लिमिटेड

कर्नाटका बैंक लिमिटेड

आपका पारिवारिक बैंक संपूर्ण भारत मे.

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय पी.बी. नं. 599, महावीरा सर्कल कंकनाडी मंगलुरु 575002
फोन : 0824-2228145/392
ई-मेल : legal.recovery@ktkbank.com
वेबसाईट : www.karnatakabank.bank.in
CIN: L85110KA1924PLC001128

कानूनी एवं वसूली विभाग

1. श्री दिलीप गुप्ता पिता श्री माणकलाल गुप्ता
72, दशहरा मैदान, उज्जैन, मध्य प्रदेश - 445010
2. श्री निहार गुप्ता पिता श्री दिलीप गुप्ता
76, श्री विशाला कॉलोनी, उज्जैन, मध्य प्रदेश - 445010

टीएल खाता संख्या 8077001600029201, जिसकी राशि रुपये 15,61,750.00 है, जिसे 1) आप (नंबर 1) श्री दिलीप गुप्ता पिता श्री माणकलाल गुप्ता एवं आप (नंबर 2) श्री निहार गुप्ता पिता श्री दिलीप गुप्ता ने लिया था; आप दोनों ही इस क्रेडिट सुविधा के संबंध में संबंधित समय पर और अब तक भी हमारी **उज्जैन शाखा** में ऋणी हैं। इस खाते को **27.08.2025 को 'नॉन-परफॉर्मिंग एसेट'** के रुप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा **22.04.2026** को आप सभी को 'वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002' की धारा 13(2) और 13(3) के तहत एक विस्तृत 'मांग नोटिस' जारी करके सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम यह मांग नोटिस **सरफेसी अधिनियम, 2002** और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रकाशित कर रहे हैं।

दिनांक **21.04.2026** तक, बैंक के प्रति आपकी कुल देनदारी **रु. 14,59,921.00 (चौदह लाख उनसाहठ हजार नौ सौ इक्कीस मात्र)** है, जिसमें नीचे उल्लिखित तिथि तक का ब्याज भी शामिल है। इस राशि पर, संबंधित तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान होने तक, नीचे उल्लिखित दर से प्रति वर्ष (वार्षिक) ब्याज जोड़ा जाएगा, जिसकी गणना मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाएगी। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

प्रकृति एवं खाता क्रं.	बकाया शेष (आज की तारीख में)	ब्याज की दर (मासिक चक्रवृद्धि)	ब्याज की गणना यहां तक की गई	निम्न तिथी से ब्याज जोड़ा जाएगा
TL A/c No. 8077001600029201	14,59,921.00	7.32 %	05-04-2026	06-04-2026

आपको इस दस्तावेज़ के प्रकाशन की तिथि से **60 दिनों के भीतर** उक्त राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है।

अनुसूची

संपत्ति का विवरण	सुरक्षा की प्रकृति	संपत्ति का स्वामी और वह व्यक्ति (या वे व्यक्ति) जिन्होंने सुरक्षा निर्मित की	प्रतिभूति निर्माण की तिथी
***1, आवासीय संपत्ति का वह संपूर्ण भाग, जिसका कुल क्षेत्रफल 466.90 वर्ग मीटर (अतिरिक्त भूमि का भाग 134.90 + 332.00 प्लॉट क्षेत्र) है, जो नगर निगम भवन संख्या ए-44, अभिलाषा कॉलोनी, सेक्टर-ए, ग्राम हमुखेड़ी, देवास रोड, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है, और जिस पर भवन निर्मित है।**	साम्यिक बंधक	श्री दिलीप गुप्ता	25-06-2024 (MDTD)

नोट : उक्त उल्लेखित बंधक संपत्ति मैसर्स श्री कृष्णा राइस एंड पोहा इंडस्ट्रीज, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रोप्रायटर आप नं. 1) श्री दिलीप गुप्ता - (टीएल खाता संख्या 8077000600011201) द्वारा किया जा रहा है, के खातों में ऋण सुविधा हेतु एक सामान्य प्रतिभूति (कॉमन सिक्योरिटी) के रुप में रखी गई है। उक्त ऋण खाते आज की तिथि में एनपीए भी हो चुके हैं। 21-04-2026 तक उक्त ऋण खातों में वर्तमान बही शेष रु. 76,85,018.91 + उस पर भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार है। बैंक उक्त खातों में देय राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी/वसूली कार्रवाई शुरूकरने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

कृपया ध्यान दें कि इस प्रकाशन की तिथि से **60 दिनों** की समाप्ति पर या उससे पहले आपके द्वारा अपने संपूर्ण दायित्वों (देनदारियों) का पूर्ण रुप से निर्वहन करने में विफल रहने की स्थिति में, मैं, प्रतिभूत लेनदार बैंक का प्राधिकृत अधिकारी, पूर्वोक्त प्रतिभूति का प्रवर्तन करने का आशय रखता हूँ। **इसके अतिरिक्त, आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत बंधक के मोचन (छुड़ाने) का समय केवल सार्वजनिक नीलामी या निविदाएं आमंत्रित करने हेतु नोटिस के प्रकाशन की तिथि तक ही उपलब्ध है।**

ह/-
सहायक महाप्रबंधक एवं
दिनांक : 22.04.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, कर्नाटका बैंक लिमिटेड

SMFG Grihashakti

Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, ईसप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051
पंजीकृत कार्यालय: कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरूर, चेन्नई - 600116, टीएन

अचल संपत्ति के लिए कब्जे का नोटिस [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

चूँकि अधोहस्ताक्षरी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी [राष्ट्रीय आवास बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली) के साथ विधिवत पंजीकृत] (जिसे आगे "एसएमएचएफसी" कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित दिनांकित मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें आपसे, उधारकताओं के रूप में, (नीचे उल्लिखित नाम) उक्त सूचना में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज की राशि, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। नीचे उल्लिखित उधारकताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को, एतद्वारा उक्त संपत्ति से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन "SMHFC" के प्रभार के अधीन होगा यहाँ उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए।

स. क्र.	उधारकर्ता (एस)/ गारंटर (एस) का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	डिमांड नोटिस दिनांक और राशि	कब्जा की तिथि
1	लैन :- 619539211681648 1. मनीष बलवानी 2. पूजा बलवानी	पैकी स्थित प्लॉट सं.03 (मानचित्र के अनुसार प्लॉट सं.196) के उत्तरी भाग का पूरा हिस्सा (उत्तरी भाग) नवकार नगर कॉलोनी, फेज-01, वार्ड सं.33 (लोकमनी तिलक वार्ड), ग्राम कुनबी, तहसील और जिला खंडवा (म.प्र.), जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट (12x50) है। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व